जानबूझकर उल्लंघन: तमिलनाडु के राज्यपाल का आचरण

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के आचरण पर गहन प्रश्न उठाए हैं, जिससे संवैधानिक कर्तव्य के जानबूझकर उल्लंघन का पैटर्न उजागर हुआ है। अदालत की जांच विधेयकों को राज्य विधानसभा द्वारा दूसरी बार अपनाए जाने के बाद भी उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजने के रवि के फैसले की वैधता पर केंद्रित है, जबकि संवैधानिक रूप से उन्हें इस पर मंजूरी देनी होती है।

by OJAANK IAS

संवैधानिक दायित्व और राज्यपाल के कार्य

1

सहमति रोकना

राज्यपाल रवि ने तमिलनाडु राज्य विधानसभा द्वारा पारित कई विधेयकों पर सहमति देने से पहले रोक लगा दी।

2

दूसरी बार अपनाना

राज्य विधानसभा ने विधेयकों को दूसरी बार अपनाया, जिससे राज्यपाल को सहमति देने की संवैधानिक आवश्यकता उत्पन्न हो गई।

3

राष्ट्रपति को भेजना

सहमति देने के बजाय, राज्यपाल रवि ने विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति को भेज दिया, जिससे इस कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठने लगे।

Ojaank Gurukul | IAS

सुप्रीम कोर्ट के गहन प्रश्न

1 संदर्भ के पीछे का उद्देश्य

कोर्ट ने पूछा कि क्या राज्यपाल ने केवल अनुच्छेद 200 के अनुसार अनुमोदन देने से बचने के लिए विधेयकों को राष्ट्रपति को संदर्भित किया।

2 संवैधानिक व्याख्या

कोर्ट के 2023 के फैसले ने स्पष्ट किया कि राज्यपालों को विधानमंडल को वापस करना चाहिए जब वे अनुमोदन देने से इनकार करते हैं, और फिर से पारित होने पर उन्हें अनुमोदन देना चाहिए।

3 राज्यपाल की जिम्मेदारी

कोर्ट ने राज्यपाल की संवैधानिक कर्तव्यों को समझने और उनका पालन करने के बारे में प्रश्न किया।

महाधिवक्ता के तर्क

प्रतिकूलता का मुद्दा

महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि राज्यपाल ने विश्वविद्यालय उपकुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में यूजीसी विनियमों के साथ संभावित टकराव के कारण विधेयकों को राष्ट्रपति को संदर्भित करने का सही किया।

विधेयक की स्थिति

यह दलील दी गई कि जब राज्यपाल ने अनुमोदन रोक दिया, तो विधेयक मौजूद नहीं रहे, और विधानसभा ने उन्हें दूसरी बार अपनाने से पहले "लौटा दिया" माना।

लौटाने की आवश्यकता

महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि केंद्रीय कानून के साथ प्रतिकूलता देखी जाती है, तो विधेयक को लौटाने की आवश्यकता नहीं है।

1) Get full Laxmikant Test Series For UPSC Prelims 2025

Link - https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/501

2) Get full Bipan Chandra Test Series For UPSC Prelims 2025

Link - https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/500

3) Get full SHAKTI All India Test Series PRELIMS - 2025

Link - https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/499

4) Get Daily Free Quiz (Newspaper wali Class) By Ojaank Sir

Free Test Link - https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/493

5) Get full NCERT RFR Mentorship (1st Month) Course from Ojaank App Now.

Link - https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/490

6) Get full 240 Days RFR Mentorship (1st Month) Course from Ojaank App Now.

Link - https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/492

7) Get full Economic Survey (2024-25) based RFR Test Course from Ojaank App Now.

Link - https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/508

8) Get full (OJAANK SIR M RFR) Course from Ojaank App Now.

Link - https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/506

राज्यपाल का बाधा डालने का पैटर्न

देरी से कार्रवाई

राज्यपाल ने कुछ विधेयकों पर एक से दो साल तक कार्रवाई नहीं की, जिससे उनके इरादों पर सवाल उठते हैं।

चयनात्मक बाधा

राज्यपाल ऐसे कानूनों को नष्ट करते दिखाई दे रहे हैं जो उनके व्यक्तिगत विचारों से मेल नहीं खाते।

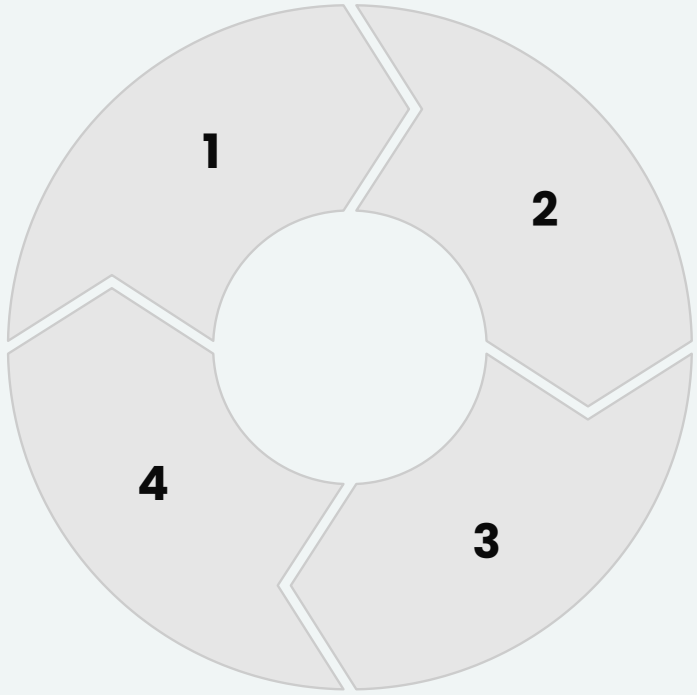

संवैधानिक कर्तव्य को नजरअंदाज किया

रवि ने जब विधेयक दूसरी बार प्रस्तुत किए गए तो उन्हें मंजूरी देने के अपने कर्तव्य को नजरअंदाज कर दिया।

संदिग्ध संदर्भ

अदालत ने पहले ही सवाल उठाया था कि क्या राज्यपाल मंजूरी देने से इनकार करने के बाद भी विधेयक को राष्ट्रपति को भेज सकते हैं।

राज्य विधायन पर प्रभाव

विधायी प्रक्रिया में व्यवधान

राज्यपाल के कार्यों से तमिलनाडु में राज्य कानूनों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण देरी हुई है, जिससे शासन प्रभावित हुआ है।

1

संवैधानिक संकट

राज्य विधानसभा और राज्यपाल के बीच टकराव ने एक संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है, जिससे शक्ति संतुलन चुनौती में पड़ गया है।

2

न्यायिक हस्तक्षेप

सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका इस स्थिति की गंभीरता और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर स्पष्टता की आवश्यकता को उजागर करती है।

3

राज्यपाल के कार्यों के कानूनी निहितार्थ

संवैधानिक व्याख्या

इस मामले में अनुच्छेद 200 की व्याख्या और राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों की सीमा के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं।

संघवाद की चिंताएं

राज्यपाल के कार्यों ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन पर बहस छेड़ दी है, जो भारत के संघीय ढांचे को प्रभावित कर सकता है।

पूर्वग्रह निर्धारण

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भारत भर में राज्यपालों और राज्य विधानसभाओं के बीच भावी संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्वग्रह स्थापित कर सकता है।

जनमत और राजनीतिक प्रभाव

जनता का विरोध

राज्यपाल के कार्यों से जनता में विरोध और आलोचना उत्पन्न हुई है, जिसे अनेक लोग उनके संवैधानिक भूमिका का अतिक्रमण मानते हैं।

राजनीतिक बहस

यह मुद्दा तमिलनाडु और राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के मामलों में राज्यपालों की भूमिका को लेकर तेज राजनीतिक बहस को जन्म दे रहा है।

शासन संबंधी चिंताएं

तमिलनाडु में इस संवैधानिक संकट के प्रभाव को लेकर प्रभावी शासन और नीति कार्यान्वयन पर बढ़ती चिंताएं हैं।

संभावित समाधान और भविष्य की दृष्टि

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

प्रतीक्षित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से राज्यपाल की शक्तियों और सीमाओं पर संवैधानिक प्रक्रियाओं पर स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।

विधायी सुधार

इस मामले से राज्यपालों की विधायी प्रक्रिया में भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने के लिए संभावित विधायी सुधारों पर चर्चा हो सकती है।

राजनीतिक समाधान

राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच गतिरोध को हल करने के लिए केंद्र सरकार की दखलंदाजी सहित राजनीतिक हस्तक्षेप की मांग हो सकती है।

निष्कर्ष: संवैधानिक शासन के लिए एक चुनौती

तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता

तमिलनाडु में स्थिति संवैधानिक शासन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है, जिसके लिए केंद्र सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

संतुलन की कोशिश

इस मुद्दे का समाधान राज्य की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए और संवैधानिक अखंडता बनाए रखने के बीच एक नाजुक संतुलन की मांग करेगा।

भविष्य के प्रभाव

इस मामले के परिणाम से केंद्र-राज्य संबंधों और भारत के संघीय ढांचे के कार्यकरण पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है।

Ojaank Gurukul | IAS

👉 ऐसी ही UPSC Special Current News PDF के लिए Visit करें हमारी Official Website : www.ojaank.com

👉 DAILY FREE ENGLISH NEWS PDFs Link :
https://www.ojaank.com/books/current-affairs-magazine

👉 DAILY FREE ENGLISH NEWS PDFs Link : https://www.ojaank.com/hindi/books/current-affairs-magazine